Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA
[L.D. Appeal Case No.-214/2024]
Prakash Chandra Sinha & Anr.....Appellants.
Versus
Bikash Chandra Sinha & Anr.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	04.5.2026	**आदेश** यह अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज द्वारा बी.एल.डी.आर. वाद संख्या-30/2023-24 में दिनांक-15.11.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षी की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है। प्रश्नगत भूमि का विवरणी निम्नानुसार है :-	

अंचल	मौजा/थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा
बहादुरगंज	भौरादह/ 290	868	7555	46 डी.

दिनांक 22.4.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है।

अपीलार्थी का कहना है कि उनके एवं विपक्षी के पिता के द्वारा निबंधित केवाला दस्तावेज सं.-7126 दिनांक-12.6.1986 के माध्यम से लगभग 3 एकड़ 99 डी. जमीन का क्रय किया गया। तथा यह कि उनके पिता के द्वारा निबंधित केवाला दस्तावेज सं.-3864 दिनांक-29.4.1987 के द्वारा 46 डी. जमीन का विक्रय मित्र नारायण सिंह को किया गया। उनका यह भी कहना है कि विपक्षी के द्वारा गलत तरीके से निबंधित केवाला सं.-3883 दिनांक-29.4.1987 के माध्यम से मित्र नारायण सिंह से 46 डी. जमीन का क्रय किया गया। उनका कहना है कि प्रश्नगत जमीन पर लगातार उनका दखल-कब्जा रहा है। तथा यह कि विपक्षी का कभी भी प्रश्नगत जमीन पर कब्जा नहीं रहा है। अपीलार्थी की ओर से निम्न न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी का कहना है कि उनके द्वारा प्रश्नगत जमीन का क्रय मित्र नारायण सिंह से निबंधित केवाला दस्तावेज सं.-3883 दिनांक-29.4.1987 के माध्यम से किया गया। जिसके उपरान्त नामान्तरण करवाकर उनके नाम से जमाबंदी सं.-5287 कायम किया गया। उनका कहना है कि कोरोना काल में उनकी अनुपस्थिति में उनके भाई अपीलार्थी द्वारा उनके खरीदगी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया। जिस कारण उनके द्वारा अनुमंडल दण्डाधिकारी, किशनगंज के न्यायालय में द.प्र.सं. की धारा 144 के तहत वाद सं.-611/2021-22 दायर किया गया, जिसमें उनके पक्ष में आदेश पारित किया गया। जिसके आलोक में अपीलार्थी के द्वारा Addl. Sessions Judge, किशनगंज के न्यायालय में Criminal Revision वाद सं.-45/2021 दायर किया गया, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। उनका कहना है कि अपीलार्थी द्वारा अपर समाहर्त्ता, किशनगंज के न्यायालय में जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं.-47/2022-23 दायर किया गया, जिसे अपर समाहर्त्ता के स्तर से खारिज कर दिया गया। विपक्षी की ओर से निम्न न्यायालय के आदेश को संपुष्ट करते हुए इस अपील वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि यह अपीलार्थी का

आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया

	04.5.2026	Admitted position है कि विपक्षी के विक्रेता मित्र नारायण सिंह को उनके पिता के द्वारा प्रश्नगत 46 डी. जमीन का विक्रय किया गया था। कागजातों के आधार पर यह स्पष्ट हो रहा है कि मित्र नारायण सिंह के द्वारा निबंधित केवाला दस्तावेज सं.-3883 के माध्यम से प्रश्नगत जमीन का विक्रय विपक्षी को किया गया। जिसके उपरान्त विपक्षी के नाम से जमाबंदी सं.-5287 कायम हुआ तथा अद्यतन भू-लगान जमा किया जा रहा है। सुनवाई में अपीलार्थी की ओर से प्रश्नगत 46 डी. जमीन पर अपने दावे/अभिकथन के संदर्भ में कोई Admissible Evidence उपस्थापित नहीं किया जा सका है। निम्न न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है। तदनुसार इस अपील वाद को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेजें। आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें। Ranjeet K. 04/5/2026. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। लेखापित एवं शुद्धित। Ranjeet K. 04/5/2026. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त न्यायालय ★ पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया ★	